

निबंधित

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक, गोरखनाथ (भा0प्र0से0),
अपर सचिव।

सेवा में,
सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- क्षेत्र सहायकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत दिये जाने वाले वेतनमान के संबंध में।

प्रसंग:- वि0 पत्रांक-2151 दिनांक-08.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-727 दिनांक-28.05.2010 के द्वारा क्षेत्र सहायक को शोध सहायक के वेतनमान में ए0सी0पी देने का निदेश दिया गया था जो नियमानुकूल नहीं रहने के कारण प्रासंगिक विभागीय पत्रांक-2151 दिनांक-08.11.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्त आलोक में यदि ऐसे मामले आपके यहाँ पाया जाता है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जाय एवं पूर्व में किये गये भुगतान की वसुली सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति के लिए आपको जिम्मेवार माना जाएगा।

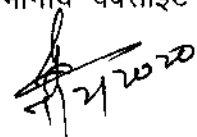
2. अतः विभागीय पत्रांक-2151 दिनांक-08.11.19 के आलोक में कृत कार्रवाई से शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(गोरखनाथ)
अपर सचिव

ज्ञापांक-03/स्था0-(ए0सी0पी0)-11-59/2009 248 पटना, दिनांक- 07-2-2020

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(गोरखनाथ)
अपर सचिव